Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Majority Act, 1875."

The motion was adopted.

Shri Jhulan Sinha: I introduce the Bill

CASTE DISTINCTIONS REMOVAL BILL

Shri Dabhi (Kaira North): I beg to move for leave to introduce a Bill to remove official recognition of caste distinction among Hindus.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to remove official recognition of caste distinction among Hindus."

The motion was adopted.

Shri Dabhi: I introduce the Bill.

INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of sections* 3, 5 *and* 8 *etc.*)

Sardar A. S. Saigal (Bilaspur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1933.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1933."

The motion was adopted.

Sardar A. S. Saigal: I introduce the Bill

INDIAN CATTLE PRESERVATION BILL—*contd.*

Mr. Chairman: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Seth Govind Das on the 27th November, 1953:—

"That the Bill to preserve the milch and draught cattle of the country, be taken into consideration."

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर): अध्यक्षा महोदया, यह जो प्रश्न हमारे मित्र सेठ गोविन्द दास ने इस विधेयक के रूप में इस सदन के सामने उपस्थित किया है, यह सदियों से लटक रहा है, त्रिशंक के समान न जमीन का है और न आसमान का है, बीच में लटक रहा है। इस की पार्श्व भूमि यह है कि जब यहां पर मुसलमानों का राज्य आया हम जब परतंत्र हुए, मुसलमानों ने हम को जीत लिया, उस वक्त से यहां पर गोहत्या की प्रथा जारी हो गयी, कुछ खुराक के लिये और कुछ कुर्बानी के लिये, लेकिन यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों ने भी इस प्रश्न की उपेक्षा बहुत नहीं की और मुसलमानी शासन काल का इतिहास हमें बतलाता है कि बाबर, हमायूं अकबर और जहांगीर आदि बादशाहों ने वक्तन फवक्तन गोहत्या निषेध के फ़रमान निकाले हैं। बादशाह शाहआलम ने भी इस प्रकार के फरमान निकाले, लेकिन इस के लिये कहा जा सकता है कि वह महादा जी सिन्धिया के जेरे असर था, उनकी पावर में था, लेकिन उसके पहले जो मुसलमान बादशाह गुजरे, उन के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। फिर उस के बाद यह दूसरी बात है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों पराभूत हो गये और अंग्रेजों के राज्य ने यहां अपने कदम जमाये। अंग्रेज चाहते थे कि इस देश के ऊपर वह हमेशा के लिये राज्य करें, इस वास्ते इस देश में जो दो कौमें हिन्दू और मुसलमान बसती हैं, उन में मतभेद और फूट पैदा करने के हेतु अंग्रेजों का सदा प्रयत्न रहा और यह सब को विदित

है कि उन का प्रयत्न यह था कि इस गो-वध के ऊपर उनमें झगड़ा पैदा किया जाये। अंग्रेजों ने यह झगड़ा यहां दो सौ वर्ष तक कायम रक्खा। जब अंग्रेजों का राज्य गया और कांग्रेस का राज्य आया तो उम्मीद यह थी कि कांग्रेस का राज्य आते ही यह गोवध प्रथा कायदे से बंद कर दी जायगी और गो-वध निषेध आज्ञा कांग्रेस सरकार जारी करेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। और मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में जो ८५ प्रतिशत हिन्दू रहते हैं उन के दिल में हमेशा यह ठेस कायम रही। मैं इस तरफ भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कांग्रेस ने जब आन्दोलन शुरू किया तो उस समय खुद कांग्रेस का ही पहलू गोहत्या निषेध था। इस सम्बन्ध में महात्मा गान्धी और लोकमान्य तिलक के वक्तव्य हैं, उन को दोहरा कर मैं सदन का समय व्यर्थ व्यतीत नहीं करना चाहता।

यह देश एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में बैलों का और उस की माता गाय का बड़ा उपयोग है। इस के बारे में यहां किसी बहस मुबाहसे की जरूरत नहीं है। आज कल इस देश में ट्रैक्टर ला कर खेती करने की चेष्टा की जा रही है। लेकिन इस देश में सदियों तक भी ट्रैक्टर का काम यशस्वी नहीं होगा और बैल को लेना ही पड़ेगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस बैल को आप ने चुनाव में अपना चिन्ह माना है, उस की माता गाय की हत्या करने से हमारी कोई तरक्की नहीं हो सकती।

कहते हैं कि गाय की उपयोगिता बहुत है, दूध देती है, उस के दही, मक्खन, घी और गोबर तक की बड़ी उपयोगिता है। खेती के काम में गाय और बैल दोनों आते हैं। वेदों तक में गाय को अघ्न्या (अहन्य) कहा है जिस का हनन नहीं हो सकता, जो मारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इस सवाल के धार्मिक, आर्थिक या और जो किसी किस्म का उपयोग है, उस में नहीं जाना चाहता क्योंकि इस से सदन का समय नष्ट होगा। मेरा सिर्फ एक ही दृष्टिकोण है जिस पर जोर देना चाहता हूं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो हिन्दू इस देश में ८५ प्रतिशत हैं उन का गाय मानबिन्दु है। हिन्दू इस के लिये अपना जीवन तक कुर्बान करने को हर समय तैयार रहता है और हमारा इतिहास यह साबित करता है कि शिवाजी तक, जिन को हम पूज्य मानते हैं भले ही कुछ लोग उन को मिस-गाइडेड पैट्रियट मानते हों, वह गाय की रक्षा के लिये सदा तत्पर रहते थे। उन के पिता शाह जी महाराज आदिलशाही दरबार में वजीर आजम थे, ऐसे ही कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुम् थे जैसे कि आज कल पंडित नेहरू हैं। शिवाजी को एक बार एक मुसलमान ने ललकार दिया कि मैं गाय को मारता हूं, है कोई हिन्दू जो इस को बचा सके। हमारे छत्रपति शिवाजी जो उस समय किशोरावस्था ही में थे आगे आये और उन्हों ने उस मुसलमान का सिर उतार लिया। उन को सजा नहीं मिली क्योंकि वह वजीर आजम के पुत्र थे। आप जानते हैं कि इस चीज से हिन्दुओं को कितनी ठेस लगाई जा रही है। मैं नहीं कहता कि आज भी कोई ऐसे किसी का सिर उतार ले मैं तो केवल इतिहास की एक घटना हाउस के सामने रखना चाहता हूं। इसीलिये शिवाजी को गो और ब्राह्मण पालक की पदवी दी गई थी।

अंग्रेजों के राज्य में क्या हुआ? एक तो उन्हों ने हिन्दू और मुसलमान का फर्क डालने के वास्ते इस प्रश्न को बार बार हल करने से रोक कर रक्खा और दूसरे व्यापार की दृष्टि से गोहत्या जारी रक्खी। उन को मालूम हुआ कि बैलों के मांस और चमड़े

[डा० एन० बी० खरे]

के बिजिनेस से परदेशों में से लाखों करोड़ों रुपया हिन्दुस्तान में आता है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो कांग्रेस सरकार आई उस का भी व्यापार का ख्याल है और इसीलिये वह गोहत्या बन्द करना नहीं चाहती । मैं इस बात को बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं ।

बात ऐसी है, कि भ्रम से कहें या किसी भी तरह से, हिन्दू गाय को माता मानते हैं, कैसे भी मानते हों, लाक्षणिक या एक्चुअल, लेकिन मानते हैं, इस में उन की भूल है या नहीं, मैं इस में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा होता है । आज देश में हिन्दुओं की मैजारिटी है और कहा जाता है कि यहां पर डेमाक्रेसी है, तो जो बहुमत की राय हो उस को मान लेना चाहिये और उसी पर चलना चाहिये । हम लोग अगर डिमाक्रेसी को मानते होते तो जरूर ही गोहत्या को बन्द कर देते, अगर मैं डिमाक्रेसी को हिन्दुआइज कर दूं तो डिमाक्रेसी का दीमकराशि बन जाता है, जिस की अगर अंग्रेजी की जाय तो हो जायगा "ए हीप आफ़ ह्वाइट ऐंट्स" । इस तरीके से हम डिमाक्रेसी से हिन्दुओं को दास बनाते हैं । जब भी हिन्दू कोई बात कहते हैं तो उस में बाधा आती है हमारे सेकुलरिज्म की, जिस को कि मैं शेखुलरिज्म कहता हूं जान बूझ कर । यह एक ऐसा सवाल है जिस के बारे में मैं सब लोगों के दिल का हाल जानता हूं, कांग्रेस वालों के दिल का भी । यहां नहीं लेकिन लाबी में वह इस गोवध निषेध के बिल्कुल पक्ष में हैं, लेकिन वह इसे पास नहीं होने देंगे । यह है हमारे यहां की डिमाक्रेसी जिस को कि मैं दीमकराशि कहता हूं । सेकुलरिज्म का मतलब क्या है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि हिन्दुओं के विश्वास को इस की आड़ में दबाया जाता है । यह कहा जा सकता है कि अगर हिन्दू गाय को माता मानते हैं, तो कांग्रेस या शायद कांग्रेसी इस्लाम को अपना पिता मानते हैं इस वास्ते वह ऐसा करना चाहते हैं । मुझे परशुराम की बात याद आती है जिन्हों ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का वध किया । कांग्रेस शायद आज इस भ्रम में है कि वह महा पराक्रमी वीर परशुराम के पथ पर चल रही है और माता का वध करवा रही है पिता को खुश करने के वास्ते ।

जो हमारे कान्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ४८ है उस में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मैं ने वह रिपोर्ट पढ़ी है जिस में कहा गया है कि इस देश में ६० फीसदी जो ढोर हैं वे बेकार हैं और उन का कत्ल करना बहुत जरूरी है ताकि इस देश में अन्न का प्रश्न भी हल हो जाय जिस का अर्थ है इन्डाइरेक्टली कि गो मांस खाया जाय, यह ठीक नहीं है । इस लिये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस चीज का सख्त विरोध करता हूं । मैं जानता हूं कि हमारे गोविन्द दासजी सरीखे जितने भी लोग इस समय हैं वे कितना ही प्रयत्नशील रहें, कभी भी सफल नहीं होंगे जब तक कि यह राज्य कायम है । मैं उन को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उनके दिल को जरा भी इस चीज से ठेस लगी है उन को हमारे पास आना चाहिये ।

सेठ गोविन्द दास : मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही गोहत्या बन्द की है ?

डा० एन० बी० खरे : यह भी जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने बहुत सी प्रान्तीय सरकारों को यह आदेश दिये हैं कि इसे बन्द न किया जाय और मध्य प्रदेश में कसाईखाने खुलने की चर्चा चल रही है ।

सेठ गोविन्द दास : जिस सर्कुलर की आप बात कर रहें हैं वह विदड्रा कर लिया गया है, यह आप को मालूम होना चाहिये । *(Interruption.)*

डा० एन० बी० खरे : बहुत अच्छा, थैंक यू । जो कांग्रेस आज हमारे ऊपर राज्य कर रही है अगर उसका इस से कोई विरोध नहीं है तो हमारी उस से दरख्वास्त है कि वह इसे बन्द करे । लेकिन वह इस पालिसी पर चलेगी नहीं क्योंकि वह इस पर तुली हुई है कि जो जो भी चीजें हिन्दुओं की मानबिन्दु हैं उन का नाश करे । यह कांग्रेस का ध्येय है अपने सेकुलरिज्म की वजह से । कांग्रेस का तो वही हाल है जैसा कि इस छोटी सी कविता में कहा गया है :

"सिर पर है गांधी टोपी, पैजामे में चूडियां,
हिन्दू गरीब जान लगाती है जूतियां । "

यह हिन्दुओं का देश है लेकिन कांग्रेस इस बात पर दृष्टि नहीं करती है । वह कभी इस काम को नहीं करेगी । बाहर वाले यहां आते हैं और हम को सर्टिफिकेट दे जाते हैं कि इस देश का कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है । सभी जगह हमारा बोलबाला है । यह बात कहां तक ठीक है यह मैं नहीं जानता , लेकिन इस देश की बहुमत वाली जनता जानती है कि उन के मन की बात नहीं हो रही है । आज यहां कहा जा रहा है कि हमारी जवाहर सरकार है । जवाहर याने डायमन्ड ज्युवेल यह सरकार है जरूर लेकिन वह परदेशियों के वास्ते है क्योंकि वह वहां से सर्टिफिकेट पाती है, देश के वास्ते तो मैं यही कह सकता हूं कि अगर जवाहर में से 'वा' निकाल दिया जाय तो जो बचता है अर्थात् जहर वही वह रह गया है ।

यह कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन मुझे डर है कि यह बिल पास नहीं होगा ।

Shrimati Kamlendu Mati Shah (Garhwal Distt.—West *cum* Tehri Garhwal Distt. *cum* Bijnor Distt.—North): We all know how our cattle is treated by us today. People, in general, are blamed for not looking after them. It is not the poor farmer to be blamed, who treats them like his own children, but the modern citizens and selfish owners, who benefit by the use or sale of their products, and who, after having no more use for them, either just drive them into the streets and make them live on rubbish, or sell them to the butcher.

Any human being having some feelings for these animals, and some consideration for the welfare of the country will, I am sure, agree with me, that by not banning cow slaughter, in our country, we are totally ignoring Article 48 of our Constitution, the religious sentiments of crores of people, and the economic interests of our country, which completely depend upon cattle wealth, from the health and agricultural points of view.

None can deny that we are no more preserving cattle and cow slaughter has immensely increased since our independence, which is a disgrace to us, specially Hindus, who seem to be the only race, that is fast losing her culture, and ignoring her religious beliefs, that were based on the science of Nature. Most of us laugh at our traditions and customs laid out by our wise ancestors for our good. No matter how modern we may become, we can only prosper by following the laws of Nature as they will rule us at all times. Is there any doubt that Nature may take a heavy toll, if we do not try to follow them? And though it may be called a fantastic religious belief, the secret of prosperity lies in preserving our cattle that helps us throughout our life.

I would be very happy if we could prove wrong the facts and figures given by the General Secretary, Bharat Gosewak Samaj in his report, in which he says that those who say that only old and useless cattle is

[Shrimati Kamlendu Mati Shah]

slaughtered are lying and in spite of the existing law against it, nearly four hundred well-bred young cows are daily slaughtered in Muradabad alone; that the U.P. Government is encouraging it the most by turning a deaf ear towards the approaches made by the Rohtak and Hissar District Boards and the Punjab Congress. He gives names of different slaughter centres and adds how thousands of young milch cows are sent to Calcutta every year and how their calves are the first victims and after the milk dries up the mothers meet the same fate.

This only means definite encouragement to the law-breakers who are allowed to twist the meaning of this act according to their convenience. This only shows how short-sighted we have become by not being able to see that we are depriving ourselves of a treasure by banking on false economy.

In other countries, where beef is their main food, milch and draught cattle slaughter is banned. Even people of different faith, like the Burmese Prime Minister, are trying their utmost to stop cow slaughter, while it has doubly increased and become a normal daily routine in our country since our independence.

Let us now see how much and in how many ways we are benefiting by cow slaughter and exportation of various parts of its body. By exporting beef, etc., we are considering the income only. It is also said that we have to get rid of about one crore of old and useless cattle to make space for the young and good ones.

We can find the answer to these lame excuses in our hearts. The meat of only young and healthy cattle can be acceptable to foreign countries as well as to most beef consumers in India. I challenge the correction. As for the income, it would be better to check so many other waste-holes such as allowing to perish and turn into dust fifty thousand blankets in Calcutta, and the loss shown in the Audit Report, from 1949, of a deficit of Rs. 3 crores and fifty lakhs which has yearly increased till 1953. Also three lakhs worth of ghee and petrol alone are being allowed to evaporate and many more such facts are widely known and cannot be denied. It is such items that need strict checking to save people's hard-earned money, and not the income from cow slaughter, to make the country wealthy.

It is a great pity that we have become blind even to this animal's unaccountable services to us. It starts serving us from birth till after death, by giving us milk products, helping us in all our work in the villages and even in the cities. And even where old and useless, it manages to live on scanty food and still gives us manure worth Rs. 50/- per head per year, when the same amount of synthetic manure costs Rs. 80/- to prepare. And even its remains, in the form of hide and bones, are most useful to us, and which we are exporting by a false notion of economy, thereby making ourselves and our soil poorer. I ask the House, can we deny that this animal is our benefactor, companion and a friend, and is it right to repay its fidelity by slaughtering it?

Our scientists are trying to find milk and butter in plants and nuts which is a mere joke, and a very poor consolation, in trying to replace milk products. I ask the House are we becoming stronger and healthier by using *dalda vanaspathi* and vegetable oils? Are we really happy since human invented stuff has replaced things that Nature gave us?

In spite of the great scientific discoveries and advancing conditions of the world today, we are being reduced to shadows of what we were, not long ago. Most of us have no vigour, vitality and mental and physical strength left to face truth and fight disease and calamities that are spreading and increasing by leaps and bounds. Most of us, except the rich and overfed, are just unnourished and

starved living skeletons. Our sickly appearances prove it. Our youth hardly lasts for a few years. How long will we be able to cope with the need of expensive medicines and lofty hospital buildings, if we have no money to buy even food, that is said to be in plenty now, to keep our body and soul together. Is there any doubt that at this speed, one day each home may become an abode of the sick without the proper nourishment that nature meant for us. Slowly we ourselves have become mere machines that we invented by being rendered heartless. Money has become our only goal, and we do not flinch or hesitate to hurt even our greatest friend. We have become very poor by having succumbed to our weaknesses within us. Are we the same who followed the truth and fought for the right, not long ago? Our goal was so vivid before us during our slavery. How bravely we strived for our independence and got it? Why have we now lost sight of the great truth that broke our bondage. I ask the House: is this independence victory or a great defeat?

Is there any doubt that if we do not act wisely and carefully, we will not flourish but perish? Science has already found means to destroy millions at a stroke. And even though it may find ways to prolong life, it will be no consolation, as life may become a mere burden if we are only to face worry, misery, hunger and fear of insecurity. We hear of so many suicides.

In conclusion, Madam, I hope we will be able to appreciate and choose something that is for our benefit and will be able to decide wisely, by watching that our policy in this matter is really as sound as the one that has earned us world-wide praise. Our policy of secularism should not lead us to encourage and support cow slaughter as that will surely earn us only abuse.

Mr. Chairman: Sardar A. S. Saigal. Before the hon. Member begins, I would request him to just limit his remarks to ten minutes because there are many others who want to speak.

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): सभानेत्री जी, जो प्रस्ताव माननीय सेठ गोविन्द दास जी लाये हैं मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

इस प्रस्ताव के जरिये से जो हमारे यहां की गायें हैं और जो हमारे जानवर हैं उनकी हम अपने देश में रक्षा कर सकते हैं । हमारा जो देश है वह एक कृषिप्रधान देश है और इसी लिये हमारे जो चौपाये हैं उनकी रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है । हमारे देश में गाय को लक्ष्मी का रूप दिया गया है । आप किसी हिन्दू के यहां चले जाइये जो हमारे देश में रहता है, आप पायेंगे कि जिस वक्त शाम को उसकी गाय उसके मकान पर आती है तो उसकी आरती उतारी जाती है और उस के बाद उसके चरणों पर पानी देते हैं। इसी तरह से जब हमारे यहां का कोई काश्तकार बैल खरीदता है तो वह समझता है कि हमारे यहां एक लक्ष्मी आयी है । अतः हमारे देश में गाय को वह स्थान दिया जाता है जो कि लक्ष्मी को दिया जाता है । ऐसी स्थिति में हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी जितनी भी रक्षा कर सकते हैं करें । अब जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और हमारी सरकार कार्य करने वाली है, तो हमारी सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह इस तरह का कोई कानून बनाये ताकि हिन्दुस्तान में यह जो चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं वह बन्द हों। सभानेत्री महोदया हमारे एक माननीय सदस्य हिन्दू महासभा के भूतपूर्व सभापति ने यह कहा कि यह जो कांग्रेस वाले हैं यह उन दूसरे लोगों को जो कि यहां पर रहते हैं पिता के तुल्य मानते हैं । मैं तो उन से कहता हूं

[सरदार ए० एस० सहगल]

कि उनको शर्म मालूम होनी चाहिय । यदि हम लोग उनको पिता समझते हैं तो आखिर आप भी यहीं पैदा हुए हैं व यहां पर रहते ह, तो आप अपने को क्या समझते हैं? क्या वे आप के पिता नहीं हैं। इस तरह के लांछन कांग्रेस वालों पर लगाना ठीक नहीं है । मैं समझता हूं कि वह बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और वह एक प्रान्त के प्रधान मंत्री रह चुके हैं। पर यहां पर आने के बाद उन की अक्ल में इस तरह की कमी हो गयी है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है । मैं तो कहूंगा कि इस तरह की बातों पर उन को ख्याल रखना चाहिये और यदि कोई उचित सुझाव हो तो उस को सरकार के सामने लाना चाहिए। सरकार से गलतियां होती हैं यह मैं मानता हूं । कोई भी पार्टी आयेगी उससे कोई न कोई गलती जरूर होगी। कोई भी आदमी या कोई भी पार्टी जोयहां पर आ जाती है वह एकदम सीख कर वह पक्की हो कर नहीं आती। खामियां रहती हैं । उनको दूर करना हमारा और हमारे जो और भाई इस हाउस में हैं उनका कर्तव्य हो जाता है। खाली टीका टिपणी करने से कोई कार्य नहीं चल सकता। फी जमाने में जब कि हम सब मिल कर प्रजातंत्र सिद्धान्त पर काम करने के लिये आगे हुए हैं तो हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि हम यह देखें कि देश की वृद्धि कैसे हो सकती है।

यह जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के विषय में मैं तो अपने यहां के जो माननीय मंत्री महोदय हैं, उन से अर्ज करूंगा कि आप इस में विलम्ब न करें और जल्दी से जल्दी एक बिल लावें ताकि इस तरह का वातावरण कहीं देश में तैयार न हो जिस से कि हमें और हमारे देश को नुकसान पहुंचे, इस से पहले ही एक इस तरह का बिल लाये जिस से कि हमारे यहां के जो चोपाये हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, और बैल हैं उनकी अच्छी तरह से परवरिश हो सके । जितने गोसदन हैं, जहां गौओं की सेवा की जाती है, उनकी प्रान्तीय सरकारों से कह कर ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्थापना करायें । इस के लिये अपने बजट में भी सरकार कुछ थोड़ी रकम जरूर रखे और प्रान्तीय सरकारों को दे । जिस से कि वहां उन की रक्षा हो सके । यदि प्रान्तीय सरकारें गोसदन नहीं बनाती हैं तो उन को आगाह करे कि तुम को यह काम करना पड़ेगा ।

इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का जो हमारे माननीय सदस्य सेठ गोविन्द दास जी लाये हैं, उस का समर्थन करता हूं ।

Mr. Chairman: Before I would continue the debate, I would like to bring to the notice of the House that there is no quorum. I have already sent word and still I find only very few Members present here. It is only right that there should be at least the minimum quorum.

An Hon. Member: The quorum bell may be rung.

Mr. Chairman: I won't ring it just now. I expect that during the course of the next speech there will be quorum.

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर): "यालक्ष्मीर्लोकपालानां या च स्वर्गे व्यवस्थिता। धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥ "

माननीय उपाध्यक्षा महोदया, प्रारम्भ से पूर्व एक शब्द कह देना उचित है। यद्यपि मैं किसी भी माननीय सदस्य की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, किन्तु गऊ के सम्बन्ध में, विशेष कर के जब कि दोनों ओर से, कांग्रेसी पक्ष से और विरोधी दल से, सभी व्यक्ति गोहत्या बन्द हों ऐसा कहा है तो ऐसी परिस्थिति में इस को किसी पार्टी का या किसी पक्ष का प्रश्न बनाना उचित नहीं है । यद्यपि स्वर्ग

मेरा अपना बिल उपस्थित है और जब भी हो वह सदन के सामने आ सकता है, फिर भी मैं ने स्वयं इस बात का निश्चय कर लिया था कि यद्यपि मेरी समझ से श्री माननीय सेठ गोविन्द दास जी के बिल से मुझे पूर्ण संतोष नहीं, वह मेरी व्यक्तिगत भावना के अनुकूल नहीं आता, फिर भी यदि कांग्रेस सरकार और हमारा यह सदन इस बिल को स्वीकार करे तो मुझे उस समय अपना बिल लौटा लेने में कोई खेद नहीं होगा। उसका कारण यह है। आज सब से बड़ी वस्तु देश के सामने यह है कि भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जनता इस गोहत्या की मानसिक पीड़ा से तड़प रही है और जनता की यह बड़ी भारी मांग है कि गोहत्या बन्द हो। एतावत मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि कोई भी वैधानिक अड़चनें डाल कर, इस में कृषि का विषय लगा कर, यह कह देना कि यह प्रान्तों में जाना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह अनुचित है। मुझे सेठ गोविंद दास जी क्षमा करेंगे जब मैं यह कहता हूं कि उन्हों ने "इंडियन कैटल प्रिजर्वेशन" शब्द रख हैं तो इन के रखने में उन की जो कांग्रेसी भावना थी वह थोड़ी कमजोरी लाती थी, कि कहीं गऊ का नाम आ जाने से देश की सांस्कृतिक भावना उठ न जाय और देश की सांस्कृतिक भावना उठने से कोई दूसरे व्यक्ति इस से रुष्ट न हो जायं। मैं जानता हूं कि उन के हृदय में गऊ के लिये कितना दर्द है और वह उसका कितना आदर करते हैं और वह चाहते हैं कि गोहत्या बन्द हो। किन्तु गोहत्या न कह कर किसी भी प्रकार से गऊ को ला कर उस की हत्या बन्द हो जाय तो यह जो उन की भावना है उस का मैं समर्थन करता हूं।

एतावत अब इस में केवल कृषि के दृष्टिकोण को आप डाल देंगे, जैसे कि हमारे मियां साहब, श्री किदवई साहब ने कहा था कि इस संसद् में इस पर बहस करना निष्फल हो जायगा और यह प्रान्तों में जायगा, तो मैं समझता हूं कि हमारे उद्देश्य को ही निष्फल बनाना होगा। इस लिये हम को उसका सांस्कृतिक, उसका धार्मिक और उस के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो इस प्रश्न का स्वरूप है, जो इस दृष्टिकोण से लाभ है, उस प्रकार गऊ का प्रश्न प्रत्यक्ष रखना पड़ेगा हम समझते हैं कि और कुछ नहीं तो लोकतन्त्र की दृष्टि से हम को गोहत्या बन्द करना स्पष्ट आवश्यक है। आज हमारी सरकार डिमाक्रेटिक सरकार कहलाती है। लोकतन्त्रात्मक सरकार कहलाती है। और जनमत अधिकाधिक संख्या में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक इस की मांग कर रहा है कि गोहत्या बन्द हो। हम यदि उस को बन्द नहीं करते और हम में से कोई खड़ा होकर, कोई भी नेता खड़ा होकर यह कहता है कि जनता मूर्ख है, समझती नहीं, तो मैं कहता हूं कि वह लोकतन्त्र के नाम पर लात मारता है और कलंक लगाता है। हम को इस बात का ध्यान होना चाहिये कि लोकतन्त्र का विचार रखते हुए गोहत्या का बन्द होना परम आवश्यक है।

हम को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे भारतवर्ष के अन्दर बड़े बड़े राजर्षि और धर्मात्मा पुरुष हो गये हैं। राजर्षि दिलीप ने अपने शरीर को मांस के एक लोथड़े की तरह शेर के आगे फेंक दिया और कह दिया कि मेरे शरीर को खा जाओ, लेकिन गऊ को छोड़ दो। यह कहना कि बूढ़ी गायों को, निष्फल गायों को मार देना चाहिये, क्योंकि वह हमारा अन्न खा जाती हैं, पिछले आप के अधिवेशन में आंकड़े देकर इस बात को सिद्ध कर दिया जा चुका है कि गऊ बूढ़ी भी हो कर, जर्जरित और निरिन्द्रिय हो कर भी, वह गोबर और गोमूत्र के द्वारा जितना खाद देती है, जितना इंधन देती है वह भी उसके चोर से कहीं अधिक

[श्री नन्द लाल शर्मा]

होता है । ऐसी गायों को कोई भी अनाज नहीं देता है । इसलिये यह कहना कि वह हमारा अनाज खा जायेंगी, दूसरे पशुओं का अनाज खा जायेंगी, यह कहना भी झूठ है । मुझे माननीय सहगल साहब क्षमा करेंगे जब मैं यह कहूं कि उन्हों ने "चौपाये" शब्द का प्रयोग किया। हम समझते हैं कि यह कहना कि जनता गऊ का जो पूजन करती है वही हत्या करती है, यह झूठी भावना है । यह हमारे राष्ट्र के मानबिन्दु का परित्याग करना है । उसी तरह की यह भावना है । अंग्रेज यहां आ जाते और चाहते वह ले जाते, कोई रुकावट डालते कि इतना ले जावो इतना मत ले जावो। आप ने हम को क्लोरोफार्म सुंघा कर के और खुला कर के छोड दिया और हम चल सकते नहीं। अब हमारी जेब को कोई भी काट सकता है, कोई भी गला काट सकता है । इस तरह जंजीर तोड़ने से और क्लोरोफार्म सुंघाने से क्या होता है । इस लिये इस तरह की प्रतिकूल भावना रखने से और अपने मानबिन्दु का परित्याग करने से और अपनी संस्कृति का नाश करने से लिये तैयार रहना यही राष्ट्र के नाश के और राष्ट्र के पतन के कारण हैं। केवल पर्वतों का नाम, नदियों का नाम लेने से ही राष्ट्र नहीं होता । राष्ट्र की जो संस्कृति है, जो राष्ट्र का मानबिन्दु है, उस को बीच में से हटा दिया जाय तो राष्ट्र-वाद ही खत्म हो जाता है । एतावत राष्ट्र-वाद के नाम से, प्रजातन्त्रात्मक सरकार के नाम से और जनता की आवाज के नाम से, आप को इस भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीन विभूति, जिस के लिये वेद ने आज्ञा दी है

मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥

कहा गया है कि हम को यह अमरत्व देती है, यह हम को अमर बनाने वाली है, इसलिये 'ए मनुष्य, इस की हत्या न करना", आप को इस की हत्या बन्द करनी पडेगी । कहा है कि इस की हत्या से तुम दिति के पुत्र बनोगे, मृत्यु को प्राप्त होवोगे । दिति क्या है, मृत्यु । तुम निरन्तर मृत्यु के गाल में चले जावोगे ।

इस लिये मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए, इतना ही निवेदन करता हूं कि गोपाल कृष्ण की पवित्रभूमि में, जहां भगवान कृष्ण, अखिल ब्रह्मांडनायक भगवान अनन्त ब्रह्मांडों की रचना करने वाले, जहां भगवान कृष्ण नंगे पैर घूमे हैं, गऊ की सेवा के लिये, जहां वह कहते हैं:

पूयेमेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ।

कि गऊ के चरणों से जो धूल निकलती है, उठती है, उस के कण से मेरा शरीर पवित्र होता है, इस प्रकार के जिस देश में घी और दूध की नदियां जहां पहले बहती हों और जहां आज खून की नदियां बह रही हों, वहां यह हमारा दुर्भाग्य ही इस का कारण है । मेरा स्पष्ट भाव है कि यही क्रम रहा तो हमारा देश नाश की ओर जायेगा और हमारे शत्रु बलवान होंगे ।

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः ।
भीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम् ॥

जिस देश में पूजा करने योग्य देवता का पूजन नहीं होगा, अपूज्यों का सम्मान बढ़ेगा उस में तीन दोष सदा रहेंगे । उस में अकाल बढेगा अनाज नष्ट होगा और मरण होगा । वहां अकाल मृत्यु होगी, छोटे छोटे बच्चे मरेंगे और सदा ही शत्रु का, चोर का और अग्नि का भय रहेगा । इन तीन दोषों से यदि बचना है तो आप को गोहत्या शीघ्रातिशीघ्र बन्द करनी होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूर्णतया एवं हृदय से समर्थन करता हूं ।

Shri U. M. Trivedi: Sir, I beg to move:

"That the question be now put."

Shri V. G. Deshpande (Guna): I support the motion.

Mr. Chairman: I have to ask the opinion of the House. The question is:

"That the question be now put."

The motion was adopted.

Mr. Chairman: Seth Govind Dass would like to reply, I think?

Sardar A. S. Saigal: There is a motion to refer the Bill to a Select Committee.

Mr. Chairman: First the Mover has got the right to reply.

सेठ गोविन्द दास (मंडला–जबलपुर–दक्षिण) : अध्यक्षा महोदया, जहां तक मेरे इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत बातें इसके पहले कह चुका हूं। २७ नवम्बर को मैं ने इसे उपस्थित किया था और ११ दिसम्बर को भी यह इस सदन के सम्मुख आया था। उन दो दिनों में मैं ने कोई दो घंटे के भाषण में इस विषय पर जितना भी प्रकाश डाला जा सकता है, उतना डालने का प्रयत्न किया था। बहस का उत्तर तो मुझे तब देना होता जब इस विधेयक का विरोध किया जाता, परन्तु आप ने देखा होगा कि २७ नवम्बर को मेरा भाषण पूरा नहीं हुआ था, ११ दिसम्बर को जब मेरा भाषण पूरा हो गया उसके बाद जिसने भी इस विधेयक पर कुछ कहा, उसने मेरे समर्थन में कहा, यहां तक कि हमारे कृषि मंत्री श्री रफी अहमद किदवई ने भी इस विधेयक का विरोध नहीं किया। उन्होंने पटने के अपने एक भाषण में इस बात को कहा था कि यदि इस देश का बहुमत गोवध बन्द चाहता है, तो गोवध बन्द होना चाहिये और जब मैं ने उन्हें उस भाषण का स्मरण दिलाया तब उन्होंने फिर ११ तारीख को इस बात को दुहराया कि जो बात उन्होंने पटने में कही थी, उस पर वह आज भी कायम हैं और उस सम्बन्ध में वह कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। तो यह सरकारी मत था। उन्होंने यह जरूर कहा था कि यह विषय प्रान्तीय विषय है, परन्तु सभानेत्री महोदया, आप यह जानती हैं कि जब यह आवाज उठाई गई कि यह प्रान्तीय विषय है, उस समय हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने इस बात पर अपनी रूलिंग दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह इस विषय को प्रान्तीय विषय मान कर अलग नहीं करना चाहते और इस को इस सदन के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं। तब अब यह प्रश्न उठाना कि सरकार इसका विरोध तो नहीं करती, लेकिन यह प्रान्तीय विषय है कुछ उपयुक्त बात नहीं होगी। यह बात हुई ११ दिसम्बर की जब इस विधेयक पर कुछ भाषण हुए और आज आपने देखा कि इस विधेयक पर जितने भी भाषण हुए, सबों ने इसका समर्थन किया, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। हिन्दू सभा की ओर से डा० खरे साहब बोले, रामराज्य परिषद् की ओर से श्री नन्दलाल शर्मा बोले। इस के अलावा हमारा जो एक दूसरा दल यहां पर स्थापित हुआ है, उसकी ओर से हमारी राजमाता टिहरी बोलीं, कांग्रेस की ओर से हमारे सरदार सहगल बोले और वह सिख भी हैं। इस तरह आपने देखा कि किसी दल का भी इस से विरोध नहीं है।

कांग्रेस के सम्बन्ध में जो बातें आप से कही जाती हैं, वे बातें बहुत हद तक गलत हैं। जब डाक्टर खरे बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इस के समर्थन में नहीं है, कांग्रेस वाले इस के समर्थन में नहीं हैं और यह कभी पास होने वाला नहीं है। मैं ने उन को स्मरण दिलाया कि मध्य प्रदेश में जहां यह विधेयक रखा गया और पास हुआ, वहां आखिर कांग्रेस की ही

[सेठ गोविन्द दास]

सरकार तो है, कोई दूसरे की तो सरकार नहीं है। वहां यह विधेयक सरकार की ओर से रखा गया और पास हुआ। अभी आपने सुना होगा कि भूपाल में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां भी यह विधेयक रखा गया और भूपाल में भी यह पास हुआ। शायद आप जानती होंगी कि बिहार प्रान्त में भी इस प्रकार का एक विधेयक वहां की विधान सभा में उपस्थित है, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। यह विधेयक एक सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया गया है। मैं अभी बिहार गया था और मुझे यह मालूम हुआ कि शायद बिहार विधान सभा के अगले अधिवेशन में वह पास हो जायेगा। इसलिये यह कहना कि कांग्रेस सरकारें और कांग्रेस वाले इस के विपक्ष में हैं, जनता को एक गलत बात कहनी है। मैं ने आप के सामने इतने दृष्टान्त दिये। आप जानती हैं कि मैं कांग्रेस दल का सदस्य हूं, कांग्रेस दल में आज शामिल हुआ हूं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में मैं सन् १९२० से शामिल हूं, आज भी मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस के बड़े जिम्मेदारी के पदों पर मैं रह चुका हूं। अपनी प्रान्तीय कांग्रेस का मैं सभापति हूं और इतने समय से सभापति हूं, जितने समय तक शायद कोई भी किसी प्रान्त का सभापति न रहा होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मैं मेम्बर रह चुका हूं और त्रिपुरी कांग्रेस की स्वागत समिति का मैं अध्यक्ष था। आपके इस सदन का तीस वर्षों से सदस्य हूं, और कांग्रेस की ओर से मैं सदस्य हूं तब यह कहना कि कांग्रेस इस के विरुद्ध है ठीक नहीं है।

श्री बी० जी० देशपांडे: आपकी सरकार क्या कर रही है?

सेठ गोविन्द दास: अगर कांग्रेस इसके विरुद्ध होती तो मैं कांग्रेस दल के अन्दर रहते हुये यह विधेयक पेश नहीं कर सकता था, मुझे ह्विप द्वारा कोई इस प्रकार का आदेश नहीं मिला कि मैं इस विधेयक को सदन में पेश न करूं, तब यह कहना कि कांग्रेस सरकारें या कांग्रेस दल इसके विरुद्ध है, लोगों को भुलावे में डालना है।

श्री बी० जी० देशपांडे: कांग्रेस सरकार यह बिल क्यों नहीं ला रही है?

सेठ गोविन्द दास: पर मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं कि मैं इस विषय में राजनीति को बिल्कुल नहीं लाना चाहता, मेरे कुछ मित्र राजनीति को दृष्टि में रख कर इस विषय पर बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि यह या भूमिदान का जो विषय है, इस प्रकार के निर्माण करने के जो विषय हैं, उन में हम राजनीति को न आने दें और सब दल मिल कर उन कामों को करें। मेरा शुरू से यह मत रहा है और आज भी मेरा यही मत है। इसलिये जहां तक गो रक्षा का विषय है मैं इस में राजनीति को नहीं आने देना चाहता। राजनीति को पृथक रख कर मैं इस विषय को आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि यह सदन इस विधेयक को पास करे। जैसा कि हमारे श्री नन्द लाल शर्मा ने कहा मैं एक बात सरकार को जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में आपत्ति उपस्थित करके कि यह प्रान्तीय विषय है, इसका विरोध न करे। उपाध्यक्ष महोदय ने इस विषय को इस सदन के ऊपर छोड़ा था। अगर थोड़ी देर के लिये यह समझ भी लिया जाय कि यह विधेयक कानून के विरुद्ध है, इतने पर भी अगर यह सदन इस को पास कर देता है तो सदन को इस बात का हक है। उस वक्त हम इस विषय को एक दूसरी तरह से देखेंगे और यहां से उस के पास हो जाने के बाद दूसरी प्रान्तीय सरकारों

को तो एक रास्ता मिलेगा। उन के सामने हम जायेंगे और कहेंगे कि देखिये केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए जिस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, कांग्रेस दल का बहुमत रहते हुए और इस विषय पर मतभेद रहते हुऐ भी कि यह विषय केन्द्र का है या प्रान्त का है, केन्द्र ने इस को पास किया और अगर केन्द्र ने इस को पास कर दिया है तो प्रत्येक प्रान्त का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह इस को पास करे।

श्री मन्नू लाल शर्मा : संविधान का संशोधन तो हो सकता है।

सेठ गोविन्द दास : इस के यहां पास होने से हम को बहुत बड़ा बल मिलेगा।

एक बात और कह दूं। यदि आप केन्द्र और प्रान्तों के विषयों को देखें तो आपको मालूम होगा कि अगर दो प्रान्तीय सरकारें केन्द्र को यह लिखें कि अमुक अमुक प्रकार का विधेयक पास होना चाहिये तो प्रान्तीय विषय रहते हुए भी केन्द्र उस को पास कर सकता है। आज इतने प्रान्तों में कांग्रेस की सरकारें हैं, और कोई भी प्रान्त खास कर मेरा प्रान्त तो सब से पहले, इस बात के लिये राजी होगा कि वह केन्द्र को लिखे कि केन्द्र ऐसा विधेयक पास करे।

मैं चाहता हूं कि जैसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि उस के अनुसार यह विषय सदन पर छोड़ दिया जाय कि वह इस को पास करे। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, क्लोजर मोशन आ गया है, और सात बजने के पहले इस को समाप्त करना है। जो कुछ मुझे कहना था वह मैंने २७ नवम्बर और ११ दिसम्बर को कह दिया है। उन भाषणों को यदि आप देखने का प्रयत्न करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सब बातें कही जा चुकी हैं और अब जब कि यहां पर किसी दल के द्वारा या सरकारके द्वारा इस का विरोध नहीं हुआ है तो मुझे उत्तर देने की कोई बात नहीं दिखाई देती। मैं चाहता हूं कि यह सदन इस विधेयक को पास कर दे।

Mr. Chairman: There is a motion that the Bill be referred to a Select Committee. I will put that motion first.

Shri Ramchandra Reddi: Nellore): One would like to know whether Government have no opinion altogether on this matter.

Mr. Chairman: I will allow just five minutes for the Minister.

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri M. V. Krishnappa): On the Bill?

Mr. Chairman: Yes, on the Bill.

Shri M. V. Krishnappa: During the last session of Parliament, the Minister of Food and Agriculture, Shri Kidwai, spoke on the Bill and he made it clear, though he sympathized with all the sentiments expressed by the people regarding the importance of the cow in the country, that the Bill was *ultra vires*. Seth Govind Das made a reference to the speech made by Shri Kidwai at Patna. What he said at Patna was that if a majority of the people in this country wanted a thing to be done, it has to be done without considering the pros and cons of it. That is what he said and he stood by what he has said. But you must remember how this Bill is *ultra vires* to be passed by this House. As introduced by Seth Govind Das, it is designed to apply to the whole of India. "Preservation, protection and improvement of livestock" falls under entry 15 of the State List in the Seventh Schedule of the Constitution. Under article 246 (3) of the Constitution, the Legislature of a Part A or Part B State has exclusive powers to make laws in

[Shri M. V. Krishnappa]

respect of any of the matters enumerated in the State List. Apart from the admissibility of the Bill, it is considered to be premature, as it envisages a complete stoppage of cattle slaughter in India. The proposed ban on the slaughter of all cattle useless or unproductive, will not be in the interests of the preservation and development of cattle wealth, until adequate provision is made for the maintenance and care of unserviceable and unproductive animals in the country.

Shri Nand Lal Sharma: Is this where the Government stands?

Shri M. V. Krishnappa: I quite sympathize with your sentiments..... For this purpose, the entire country should be surveyed so as to determine the requirements. In respect of *gosadans*, considerable expenditure on the establishment of *gosadans* will have to be necessary. The Cattle Preservation and Development Committee appointed by the Government of India in 1949, of which I hope Seth Govind Das was also a member, estimated that a total expenditure of Rs. 24·4 crores non-recurring and Rs. 12·8 crores recurring would be needed for this purpose. As recommended by this Committee, legislation will have to be enacted by the States concerned.

Shri U. M. Trivedi (Chittor): Is it all relevant? It is a question of making laws. There is no question of *gosadans*.

Mr. Chairman: Let him finish.

Shri M. V. Krishnappa: When we talk about this legislation, the hon. Members should know that it relates to the entire country. Supposing today we prevent the slaughter of cattle, both productive and unproductive. It is estimated that there are nearly one and a half crores of unproductive and useless cattle in this country. What are we going to do about this one and a half crores of cattle? We must know where to preserve them and where to rear them up and that is the reason why we require *gosadans* in this country. A proper survey has to be made and we must know how much money would be required to preserve this cattle in these concentration camps.

Pandit Thakur Das Bhargava (Gurgaon): May I enquire wherefrom he has taken this figure of one and a half crores?

Shri M. V. Krishnappa: It is Government statistics.

Pandit Thakur Das Bhargava: It is not in the Government statistics. It is much less. This figure is wrong. No statistics have been taken.

Shri M. V. Krishnappa: Our statistics estimates show that there are 20 crores of cattle in this country.

They consist of nearly 15 crores of cows and bullocks etc. and nearly 5 crores of buffaloes etc. There are nearly 10 per cent. or at least about 1½ crores—even more than that—which fall under the category of unproductive and useless cattle. So when we think of legislating for preventing cow-slaughter and all that, it is relevant that we should also think of the expenditure that we have to incur in future to maintain these *gosadans* and to run them—both the recurring and non-recurring expenditure.

Madam, I need not lay stress on the importance of the cow in this country. I myself am an agriculturist and I know the importance of the cow in the rural economy of this country. I can compare the cow to the Sindri factory. For me every cow is a small Sindri factory. Apart from the milk that it gives, it gives us manure. Our tractors will not be able to give us manure whereas the cow does.

Shri Nand Lal Sharma: On a point of order. I wish to point out that Members are being persuaded to leave so that we may not be able to have quorum.

Shri V. G. Deshpande: They do not want division.

Mr. Chairman: There is no point of order. If there is no quorum, then naturally I will have to adjourn the House.

Shri V. G. Deshpande: They are prolonging it.

Shri M. V. Krishnappa: I compared the cow to the Sindri factory. Apart from giving milk, apart from helping the agriculturist in ploughing his land, it gives manure which is more important in growing foodgrains. I can compare every cattle shed to the Chittaranjan factory. It produces enough of pulling power in the form of Bullocks and Bulls and it helps this country. I do not want to say that I do not sympathise with the people who lay stress on the importance of preventing cow slaughter in this country, but in doing so, in sympathising with their attitude, I want to bring to the notice of the hon. Members these important factors. There is the *Gosamvardhan* Committee of which Seth Govind Das is also a Member. There we have taken proper action. Seth Govind Das is also a member of the Sub-Committee which drafted a model Bill to be circulated throughout the country. We have drafted a model Bill and that Bill is being circulated to all the States, and Seth Govind Das has agreed that it is not within the jurisdiction of the Centre to legislate for the prevention of cow slaughter.

सेठ गोविन्द दास : On a point of personal explanation, Madam.

Mr. Chairman: Order, order. Let him finish.

सेठ गोविन्द दास : मैं ने यह कभी नहीं कहा । हम को तो उस वक्त तक संतोष नहीं हो सकता जब तक कि गाय के खून का एक बूंद भी इस पुन्यमयी भारतभूमि पर गिरता है । मैं ने केवल यह कहा था कि अगर सरकार अभी इतना करने को तैयार नहीं है तो कम से कम एक माडिल बिल पास कर दे । इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उस से सहमत हूं । मैं तो सम्पूर्ण गो हत्या बन्द करने के पक्ष में हूं । आज ३३ वर्षों से वरन् जब से मैं ने होश संभाला है तब से मैं इस के पक्ष में हूं ।

Pandit Thakur Das Bhargava: May I ask the Minister if the Government are keen on implementing the Bill?

Shri M. V. Krishnappa: Yes. That is the reason why the Committee have circulated the Bill.

Shri N. Rachiah (Mysore—Reserved—Sch. Castes): On a point of order, Madam. There is no quorum.

Mr. Chairman: Even if there is, it will stand over because the time is over now.

The House then adjourned till Two of the Clock on Saturday, the 27th February, 1954.